"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 465] रायपुर, सोमवार, दिनांक 29 जुलाई 2019 — श्रावण 7, शक 1941

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-30/2019/कौ.वि./42. —छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 17 सन् 2013) की धारा 27 की उप-धारा (2) तथा धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) एवं (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता) विनियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जो 1 अगस्त, 2019 से प्रभावी होगा, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त विनियमों में –

1. विनियम 2.2 में, विनियम 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"2.2.4 आवेदित संस्था द्वारा आवेदन के साथ व्हीटीपी के रूप में पंजीयन के लिए राशि रू. 10,000 (नॉन–रिफन्डेबल) अथवा पूर्व से पंजीकृत व्हीटीपी में नवीन पाठ्यक्रम जोड़े जाने की दशा में प्रति पाठ्यक्रम राशि रू. 1500 (नॉन–रिफन्डेबल) का डिमांड ड्राफ्ट, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के नाम से देय हो, प्रस्तुत करना होगा। पंजीयन शुल्क का उपयोग संस्था के निरीक्षण पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए किया जा सकेगा। शासकीय संस्थाओं को इस पंजीयन शुल्क से छूट प्राप्त होगी।

2.2.5 आवेदित संस्था के निरीक्षण के प्रयोजन हेतु, मुख्य कार्यपालन अधिकारी उसे ऐसी निरीक्षण समिति को संदर्भित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

2.2.6 निरीक्षण समिति, प्रशिक्षण केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान, आवेदक अथवा किसी लोक सेवक' से ऐसी कोई भी सूचना मांग सकेगी, जैसा कि वह आवश्यक विकास प्राधिकरण को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। निरीक्षण समिति को निरीक्षण कार्य हेतु मानदेय प्रदाय की जायेगी जिसका निर्धारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

2.2.7 निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन पर सम्यक् विचारोपरांत, जिला कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला कौशल विकास प्राधिकरण, पंजीयन की अनुंशसा सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण को प्रतिवेदन प्रेषित करेगा अथवा उसका कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, आवेदन अस्वीकार करेगा या निरीक्षण समिति को मामला ऐसी कार्यवाही के लिए संदर्भित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

2.2.8 जिला कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला कौशल विकास प्राधिकरण की अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरांत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण आवेदक को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीकृत कर सकेगा और एक पंजीयन संख्या समनुदेशित कर सकेगा अथवा उसका कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, आवेदन अस्वीकार कर सकेगा अथवा जिला कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला कौशल विकास प्राधिकरण को मामला ऐसी कार्यवाही के लिए संदर्भित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।''

2. विनियम 2.2 में, विनियम 2.2.8 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''2.2.9 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में संस्था का पंजीयन होने की स्थिति में, राशि रू. 50,000/– (पचास हजार रूपये मात्र) बैंक गारंटी के रूप में, आवेदित संस्था से जिला कौशल विकास प्राधिकरण में जमा करायी जायेगी। यह राशि, संस्था द्वारा स्वयं पंजीयन निरस्त करने हेतु आवेदन प्राप्त होने अथवा उसकी वैधता अवधि की समाप्ति होने के पश्चात्, वापसी योग्य होगी।

शासकीय संस्थाओं को बैंक गारंटी से छूट प्राप्त होगी। तथापि, शासकीय संस्थाओं के ट्रेनिंग पार्टनर को बैंक गारंटी जमा करना होगा।

2.2.10 पंजीयन संख्या समनुदेशित किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पंजीयन विधिमान्य होगा, जब तक कि पूर्व की पंजीयन संख्या निरस्त न कर दी जाये।"

3. विनियम 2 में, विनियम 2.5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"2.5 यदि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण संतुष्ट हो कि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता, अधिनियम के प्रावधानों एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों का पालन करने में विफल रहा है, तो वह व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता पर अधिकतम राशि रू. 50,000 (पचास हजार) का अर्थदण्ड, उसके द्वारा पंजीयन के समय जमा की गई बैंक गारंटी को जब्त कर, अधिरोपित कर सकेगा अथवा उसके पंजीयन को निरस्त कर सकेगा अथवा सोसायटी/कम्पनी/फर्म/उद्योग के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीयन को, अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि तक के लिए निलंबित कर सकेगा अथवा सभी तीनों कार्यवाहियां, अर्थदण्ड रू. 50,000 तक, व्हीटीपी के पंजीयन का निरस्तीकरण तथा सोसायटी/कम्पनी/फर्म/उद्योग के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीयन को निलंबित कर सकेगा:

परंतु यह कि यदि किसी भी समय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी संतुष्ट हो कि उसके पास ऐसे कदम उठाने हेतु विचार करने का पर्याप्त कारण है जिनसे आगे चलकर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के पंजीयन का निरस्तीकरण हो सकता है, तो वह ऐसे कदमों के पूर्ण होने तक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के पंजीयन को निलंबित कर सकेगा।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टंडन, अपर सचिव.

Atal Nagar, the 29th July 2019

NOTIFICATION

No. F 10-30/2019/S.D./42.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 27 and clause (f) and (p) of sub-section (1) of Section 11 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No.17 of 2013), the Chhattisgarh State Skill Development Authority, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh State Skill Development Authority (Vocational Training Provider) Regulations, 2013, with effect from 1st August, 2019, namely:-

AMENDMENT

In the said regulations, -

1. In regulation 2.2, for regulation 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 and 2.2.8, the following shall be substituted, namely:-

"2.2.4 Applicant institute has to submit a demand draft of Rs 10,000 (non refundable) for registration as a VTP or in case of new courses being added for already registered VTP a demand draft of additional amount Rs 1500 (non-refundable) per course has to be submitted along with application payable to Chief Executive officer, Chhattisgarh State Skill Development Authority. This registration fee can be used for meeting the expenditure in inspection of institution. Government institutes shall be exempted from this registration fee.

2.2.5 For the purpose of inspection of applicant institution, the Chief Executive Officer may refer the same to such Inspection Committee as he may deem fit.

2.2.6 During inspection of training centers, the inspection committee would be able to demand any such information which from applicant or public servant it finds necessary and after deciding it would submit its recommendation of approval or non-approval to District Collector-cum-Chairman District Skill Development Authority. The inspection committee shall be provided honorarium for inspection which shall be fixed by Chief Executive Officer, Chhattisgarh State Skill Development Authority.

2.2.7 After duly considering the report of the Inspection Committee, the District Collector-cum-Chairman District Skill Development Authority shall submit the report to Chief Executive officer, Chhattisgarh State Skill Development Authority with recommendation of registration or shall reject the application after recording the reasons thereof or refer the matter to the Inspection Committee for such actions as he may deem fit.

2.2.8 After duly considering the recommendation of District Collector-cum-Chairman District Skill Development Authority, Chief Executive officer, Chhattisgarh State Skill Development Authority may either register the applicant as a Vocational Training Provider and assign a registration number or reject the application after recording the reasons thereof or refer the matter to the District Collector-cum-Chairman District Skill Development Authority for such actions as he may deem fit."

2. In regulation 2.2, after regulation 2.2.8, the following shall be added, namely:-

"2.2.9 In case of registration of the institution as a Vocational Training Provider an amount of Rs 50,000/- (Fifty thousand only) has to be deposited by applicant institution as a bank guarantee to District Skill Development Authority. The amount shall be refundable in case the institution itself applies for cancellation of registration or in case of end of validity period.

Government institution shall be exempted from bank guarantee. However, training partners of Government Institutions shall have to deposit bank guarantee.

2.2.10 The registration shall be valid for a period of three years from the date of assignment of the registration number, unless the registration number is cancelled earlier."

3. In regulation 2, for regulation 2.5, the following shall be substituted, namely:-

"2.5 In case the Chief Executive Officer, Chhattisgarh State Skill Development Authority is satisfied that the Vocational Training Provider has failed to adhere to any provision of the Act, the Rules and Regulations framed there under, he may after giving due opportunity of hearing to the Vocational Provider, can impose a penalty maximum of Rs 50,000 (Fifty Thousand) by seizing the bank guarantee deposited at the time of the registration or can cancel the registration of the Vocational Training Provider or can suspend the registration of society/company/firm/industry as a Vocational Training Provider for a maximum period of up to three years or can take all three actions levying penalty up to Rs. 50,000, cancelling the registration of VTP and suspending the

registration of society/company/firm/industry as a Vocational Training Provider:

Provided that, if at any point of time the Chief Executive Officer is satisfied that there is sufficient reason for him to consider steps that may lead to cancellation of registration of a Vocational Training Provider, he can suspend the registration of the Vocational Training Provider till completion of such steps."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R.K. TANDON, Additional Secretary.

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-30/2019/कौ.वि./42. —छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम,2013 (क्र.17 सन् 2013) की धारा 27 की उप-धारा (2) तथा धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष मूल्यांकक) विनियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जो 1 अगस्त, 2019 से प्रभावशील होगा, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त विनियम में -

1. विनियम 3 में, विनियम 3.1 (क) में, अर्ध विराम चिन्ह ";" के पश्चात्, शब्द "और " का लोप किया जाये ।

2. विनियम 3 में, विनियम 3.1(ख) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, अर्ध विराम चिन्ह ";" प्रतिस्थापित किया जाये ।

3. विनियम 3 में, विनियम 3.1 (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"(ग) तृतीय पक्ष मूल्यांकन एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के नाम से रू. 50,000 (पचास हजार) की बैंक गारंटी जमा करेगा;

(घ) मूल्यांकन एजेंसी द्वारा किसी नियम/प्रावधान के अनुपालन करने में विफल होने की स्थिति में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिकतम राशि रू. 50,000 (पचास हजार) तक का अर्थदंड अधिरोपित कर सकेगा; और

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण, तृतीय पक्ष मूल्यांकन एजेंसी को प्रति बैच अधिकतम 10 प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन राशि का भुगतान करेगा।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टंडन, अपर सचिव.

Atal Nagar, the 29th July 2019

NOTIFICATION

No. F 10-30/2019/S.D./42.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 27 and clause (g) of sub-section (1) of Section 11 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (17 of 2013), the Chhattisgarh State Skill Development Authority, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh State Skill Development Authority (Third Party Assessor) Regulations, 2014, with effect from 1st August, 2019, namely :-

AMENDMENT

In the said regulations, -

1. In regulation 3, in regulation 3.1 (a), after the punctuation semi colon";" the word "and" shall be omitted.
2. In regulation 3, after regulation 3.1 (b), for the punctuation full stop ".", the punctuation semi colon ";" shall be substituted.
3. In regulation 3, after regulation 3.1 (b), the following shall be added, namely;

"(c) Third Party Assessment Agency shall deposit a bank guarantee of Rs. 50,000 (fifty thousand) in the name of Chief Executive Officer, Chhattisgarh State Skill Development Authority;

(d) In case the assessment agency fails to adhere to any rule/provision, Chief Executive Officer can impose a maximum penalty of Rs. 50,000 (fifty thousand); and

(e) Chhattisgarh State Skill Development Authority shall pay assessment cost of minimum 10 trainees per batch to the Third Party Assessment Agency."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. TANDON, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.